



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052024-254406
CG-DL-E-28052024-254406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2024/ज्येष्ठ 7, 1946

No. 373]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2024/JYAISHTHA 7, 1946

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

फा. सं. टीई- 32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर.—राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की सिफारिशों पर, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) के धारा 54 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण और जल-मौसम विज्ञान स्टेशन विनियमन, 2024 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएँ:** - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "अधिनियम" से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) अभिप्रेत है;
(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ग) "खंड" से अधिनियम का खंड अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों को जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

4. Hydro-meteorological stations of specified dams - (1) Hydro-Meteorological Station for measuring the following inputs shall be established near dam vicinity, namely: -

- (i) rainfall (precipitation);
- (ii) water level;
- (iii) discharge;
- (iv) temperature;
- (v) humidity;
- (vi) evaporation;
- (vii) wind velocity and direction; and
- (viii) snowfall, as applicable.

(2) The frequency of data measurement through the appropriate instruments shall be once a day or more depending upon the requirement, the instruments are to be placed at the dam site or at around 250 m radius from any abutment and the discharge measurement at the dam site shall be through a well calibrated rating curve which shall be updated every two years.

(3) Every owner of the specified dam shall install well-designed hydro- meteorological instrumentation network for inflow forecasting and flood warning.

ANIL JAIN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./142/2024-25]